न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

क्रमांक – रीडर/2018/1068 दिनांक 24/5/18

प्रेषित :–

तहसीलदार चौहटन

विषय :– राजस्व आवेदन सं. 245/17 अनवान हेमाराम बनाम गंगाराम वगैरा में न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.05.2018 की पालना करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय में विचाराधीन आवेदन सं. 245/17 अन्तर्गत धारा 251 (क) Rt Act में निर्णय दिनांक 22.05.2018 को पारित किया गया है। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.05.2018 की पालना करते हुए पालना रिपोर्ट की सूचना 15 दिवस में पेश करे।

सलंग्न – निर्णय की प्रमाणित प्रति।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 245/17 अन्तर्गत धारा 251 'क' Rt Act

प्रार्थीगण :– 1. हेमाराम 2.रूखमणाराम पि.धनाराम 3.भंवरी पत्नी धनाराम 4.सताराम पुत्र जगमालराम 5.चूनाराम पुत्र गोमाराम 6.चनणी पत्नि सताराम 7.नोजी पत्नि चूनाराम , जाति जाट, निवासी रामजी की ढाणी तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :– 1. गंगाराम 2.गिरधारीराम पि.शोभाराम 3.घमण्डाराम 4.जीवणाराम 5.डालूराम पि. गजाराम जाति जाट, निवासी रामजी की ढाणी तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।
6.तहसीलदार चौहटन

वकील प्रार्थीगण :– श्री ठाकराराम कड़वासरा

विप्रार्थीगण वकील :–

सहायक कलक्टर चौहटन

निर्णय

दिनांक 22.05.18

प्रार्थीगण हेमाराम पुत्र धनाराम वगैरा जाति जाट, निवासी रामजी की ढाणी, पटवार क्षेत्र धारासर, तहसील चौहटन जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (क) राजस्थान काश्तकारी / संशोधन अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण सदभावी काश्तकार है। प्रार्थीगण की खातेदारी, कब्जे काश्त की जोत मौजा रामजी की ढाणी, तहसील चौहटन जिला बाड़मेर में खसरा नं. 233/154 रकबा 28.06 बीघा स्थित है। उसकी उक्त जोत पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है एवं काश्त के समय प्रार्थीगण की जोत के चारों ओर के काश्तकार अपनी अपनी काश्त कर लेते है। जिससे प्रार्थीगण अपनी जोत में आने जाने से बाधित होता है। अतः प्रार्थीगण को विप्रार्थीगण के खसरा सं. 235/154 रकबा 145.05 बीघा, भूमि मौजा रामजी की ढाणी में रास्ता दिया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। तहसीलदार चौहटन को उपरोक्त चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट हेतु लिखा

सहायक कलक्टर
चौहटन

गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल सुदा प्राप्त होने के बावजूद कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः विप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी।

पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत / कोर्ट कैम्प धारासर में पेश हुई। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के संबंध में तहसीलदार चौहटन से मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा प्राप्त प्राप्त हुई, जो शामिल पत्रावली की गई। मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया ।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । सलंग्न दस्तावेजों एवं मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। जैसा कि मौका रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण के खेत से गांव , आबादी, बस स्टेशन , स्कूल आदि तक आवागमन का कोई अन्य रास्ता नहीं है।

अतः प्रार्थीगण की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है न्याय संगत है। प्रार्थीगण को जो दिया जाना है। उसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	खसरा संख्या	रकबा बीघा में	किस्म	रास्ते की चौड़ाई फीट में	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि बीघा	मौजा	खातेदार का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	235/154	145.05	बा.सो.	13 फीट	1.06	रामजी की ढाणी	गंगा, गिरधारी पि. शोभा, घमण्डाराम, जीवणाराम, डालूराम पि.राजा, कौम जाट

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस व फर्द मौका में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण द्वारा वर्णित उपरोक्त खसरा नं. 235/154 के अंदर से जो रास्ता चाहा गया है वह आंशिक नक्शा में लाल रंग से दर्शाया गया रास्ता प्रार्थीगण को दिया जाता है और इस प्रस्तावित नए मार्ग में कोई मकान व कीमती पेड़ और न ही किसी प्रकार का बेरा/टांका बना हुआ है।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता

सहायक कलक्टर
चौहटन

है तो जिला स्तरीय कमेटी/ डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है। और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रस्तुत आवेदन में प्रस्तावित नए रास्ते में कोई मकान व कोई कीमति पेड़ या अन्य कोई संरचना नहीं है। अतः प्रभावित (पक्षकारों) / विप्रार्थीगण को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्रार्थीगण द्वारा देय होगी और प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों को दी जाने वाली राशि नए रास्ते के लिए प्रस्तावित समाविष्ट भूमि के रकबे की डीएलसी द्वारा निर्धारित दर से दौगुणा राशि के बराबर होगी। डीएलसी द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक की ही मान्य होगी और इसी आधार पर प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण/प्रभावित पक्षकारों को भुगतान करना अनिवार्य होगा।

प्रार्थीगण के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) – (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस लाल रंग से दर्शाया गया 13 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थीगण को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में सलंग्न मौका नक्शा ट्रेस में लाल रंग दर्शाया गया प्रस्तावित नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जायेगी।
2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों (विप्रार्थीगण) को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा के बराबर होगी।

सहायक कलक्टर
चौहटन

3. प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चय किया जाएगा कि विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इनकार करता हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी । क्षतिपूर्ति राशि तहसील में जमा करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।

4. नए प्रस्तावित 13 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में **"रास्ता"** के रूप में अभिलिखित की जायेगी। जो कि सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होगा।

5. प्रार्थीगण को उक्त 13 फीट चौड़े रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।

6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थीगण को नया तथा 13 फीट चौड़ा रास्ता दिए जाने का आदेश आज दिनांक 22.05.2018 को दिया जाता है। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2018 को न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत कोर्ट/कैम्प धारासर में सुनाया गया।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

आंशिक रेखाचित्र
मौजा - रामजी (बिवाली)
तह० - पौखाल

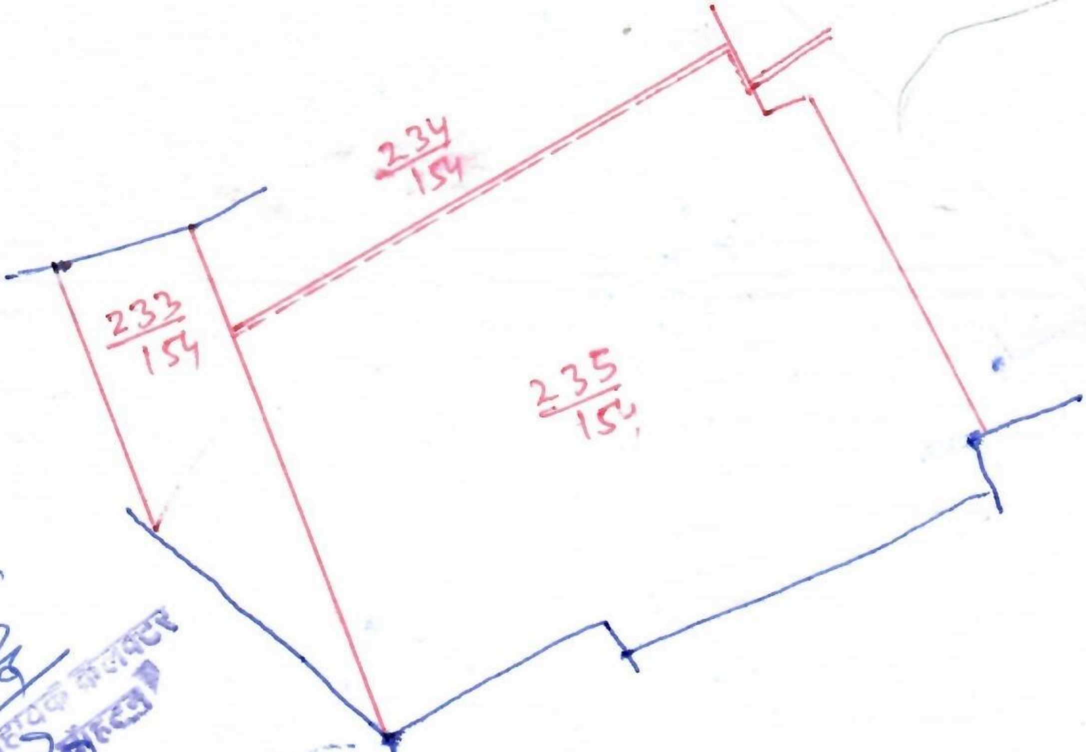

Conv. [illegible]

सहायक कलक्टर [illegible]

रोड हेतु प्रस्तावित क्षेत्र लाल

[illegible] 24/3/17
ल०पा० लेख०

नजरी

लेखपाल [illegible]

मौका फर्द

राजस्व अपील नं. 245/17

आज दिनांक 28/7/17 को श्रीमान तहसीलदार साहब चौहटन के आदेश क्रमांक/भू०अ०/2017/1601 दि० 26-7-17 की पालना में राजस्व अपील नं० 245/17 अन्तर्गत धारा 251A राज० काश्त० अधिनियम बनाम हेमाराम वगैरा बनाम गंगाराम वगैरा में खसरा नं. 237/154 किस्म गैर मुमकिन रास्ता से खेत ख०नं. 235/154 रकबा 145.05 बीघा में से ख०नं. 233/154 तक आने-जाने हेतु 13 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी द्वारा चाहा गया है जिसकी मौका जाँच हेतु हल्का पटवारी से रेकर्ड प्राप्त कर मौके पर पहुँचा। मौके पर पहुँच कर प्रार्थी की उपस्थिति में मौका जाँच की गयी। विप्रार्थी अनुपस्थित रहे। ख०नं. 235/154 व 234/154 रकबा क्रमशः 145.05, 26.05 बीघा विप्रार्थीगण का सहखातेदारी खेत राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है। उक्त रास्ते में किसी प्रकार का किसी के द्वारा पक्का निर्माण कार्य नहीं आता है।

साथ में प्रस्तावित नक्शा निम्न प्रपत्र में मौका रिपोर्ट निम्न प्रकार है:—

क्र.सं.	नाम खातेदार मय वल्दियत	ख०सं०	रकबा बीघा में	रास्ते की चौड़ाई फीट में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि	डी.एल.सी. दर	रास्ते हेतु समाविष्ट भूमि की कीमत	किस्म
1	गंगा गिरधारी पि० शेरा धमनाराम जीवनाराम भालूराम पि० राजा जाति जाट	234/154	26.05	—	—	—	—	बारानी
		235/154	145.05	13 फीट	1.06 बीघा	10840	28184	बारानी

उक्त प्रार्थी को अपने खेत खसरा नम्बर 233/154 रकबा 28.06 बीघा, भूमि में आने जाने हेतु अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः उक्त खसरा नम्बर 235/154 रकबा 145.05 बीघा में से 1.06 बीघा भूमि संलग्न नक्शा अनुसार रास्ते हेतु प्रस्तावित है। प्रतिवादीगण रास्ता देने में सहमत नहीं है। तथा हस्ताक्षर करने से इन्कार किया, उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाये गये। प्रतिवादी गंगा के हिस्से में 0.07 बीघा, गिरधारी के हिस्से में 0.068 बीघा, धमनाराम के हिस्से 0.05 बीघा, जीवनाराम के हिस्से 0.04 बीघा, भालूराम के हिस्से 0.04 बीघा प्रभावित भूमि आती है। जिसकी कीमत क्रमशः 7046, 7046, 4698, 4697, 4697 रुपये बनती है।

फर्द मौका मौके पर मुआयना जाकर पढ़कर सुनायी गयी तथा उपस्थित के हस्ताक्षर/अंगूठा करवाये गये।

नवरी (गंगा पि० धमनाराम)

लक्ष्मण दमा (लक्ष्मण पि० धमनाराम) (हेमाराम पि० धमनाराम)

28/7/17 ILR चौह

28/7/17